नगर निगम खंगाल रहा दस्तावेज

छत्रीपुल के बाद अब निगम के सामने के अतिक्रमण भी हटेंगे

शासकीय भूमि को कराया जाएगा मुक्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. छत्रीपुल सहित शहर के कई क्षेत्र प्रशासन व नगर निगम ने अतिक्रमण से मुक्त करवाए हैं। अब निगम अपने दस्तावेज खंगाल रहा है। निगम कार्यालय के सामने ही जो गुमटियां लगी हुई हैं, उनको हटाने के लिए निगम नोटिस जारी करने जा रहा है। पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने वाले निगम कार्यालय के सामने ही बड़े स्तर पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है।

शहर में विभिन्न अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन व निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई गत दिनों की है। अब निगम जो तैयारी कर रहा है वो दो स्थान पर कार्रवाई करने की योजना पर काम कर रहा है। कालिका माता मंदिर की भूमि पर आनंद कॉलोनी के सामने जो अतिक्रमण है उसको पहले हटाया जाएगा। इसके साथ - साथ निगम स्वयं के कार्यालय के सामने ही जो अवैध गुमटियां है उनको हटाने के पूर्व दस्तावेज खंगाल रहा है।

16 साल पहले दिए थे नोटिस

वर्ष 2004-05 में तत्कालीन कलेक्टर दिप्ती गौड़ मुखर्जी के कार्यकाल के दौरान यहां की गुमटी संचालकों को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद तो इस क्षेत्र में गुमटियों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अब स्थिति यह है कि मुख्य रोड की गुमटियों के पीछे ही कई गुमटियां बना दी गई है। इतना ही नहीं, आए दिन यहां पर नई गुमटी रखने का सिलसिला जारी है। इसलिए अब निगम जो इनसे प्रतिमाह किराया लेता है उसके दस्तावेज खंगाल रहा है। इन खंगाले गए दस्तावेज के आधार पर ही इसी माह कार्रवाई की जाएगी।

पहले दस्तावेज का अध्ययन

नगर निगम के सामने सहित शहर में जहां - जहां अतिक्रमण है उन सभी के दस्तावेज खंगाले जा रहे है। इनके अध्ययन के बाद अतिक्रमण में पहले नोटिस जारी किए जाएंगे व इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त नगर निगम

पत्रिका
विस्तृत खबरों और फोटोग्राफ्स के लिए देखें... **patrika.com**

पत्रिका 6/12/21

स्ट्रा बोर्ड की सरकारी जमीन से हटेगा कब्जा, तैयारी शुरू

भास्कर संवाददाता | रतलाम

बहुचर्चित रतलाम स्ट्रा बोर्ड मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। महू रोड बस स्टैंड के सामने से शुरू होकर कलेक्टोरेट तक 40 बीघा जमीन पर अभी भी कई गोदाम व अन्य निर्माण पर कुछ रसूखदार कब्जा जमाए बैठे हैं। इसके अलावा 1300 बीघा जमीन पलसोड़ी में हैं, जहां घांस उगाकर मिल में पुठ्ठा बनाया जाता था। इसे लेकर मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में पेटिशन लगाई है। मोहसिन के अनुसार सरकार ने 1956 में पुठ्ठा मिल के लिए जमीन कंपनी को दी थी। 1985 में कंपनी बंद हो गई है। कंपनी डायरेक्टरों ने सरकारी तंत्र से मिलीभगत कर मिल जमीन में से काफी बेच दी। ऐसी ही एक जमीन पर गुलमोहर कॉलोनी बन चुकी हैं। कई लोगों का गोदाम, दुकान व अन्य निर्माण पर कब्जा है, जिसे कब्जेधारियों ने किराए पर दे रखा है। मोहसिन खान द्वारा दायर याचिका में शासन, कलेक्टर, स्ट्रा बोर्ड कंपनी के साथ डायरेक्टर कुमारी फेमिदा, जामलिया युसुफ अली जालीवाला, सकिना हुसैन, अनवर हुसैन, खुर्शीद अनवर, राजेश पटेल, नीलेश पटेल, फर्म रचना हाउसिंग और उसके डायरेक्टर और प्रवीण सेलवड़िया को भी प्रतिवादी बनाया है।

2003-04 में तत्कालीन तहसीलदार के आदेश से जमीन को निजी स्वामित्व की दर्ज कर दी थी। मामला कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा था। कलेक्टर न्यायालय ने सक्षम अधिकारी नहीं मानते हुए तहसीलदार के आदेश को नहीं मानते हुए तब्दीली निरस्त कर दी थी। इसके बाद निजी स्वामित्व में चढ़ाई गलती सुधारते हुए स्ट्रा बोर्ड की जमीन को वापस सरकारी दर्ज कर दिया था।

भास्कर

दै. भास्कर 6/12/21

बिना अनुमति किया गया निर्माण तोड़ेगा निगम

रतलाम | शहर की मुख्य सड़कों के किनारे बढ़ते स्थाई और अस्थाई अतिक्रमण को हटाने निगम फिर कार्रवाई शुरू करेगा। इनमें सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य प्रमुख सड़कें शामिल हैं। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने इसके लिए दल गठित करते हुए कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दल सड़कों के किनारे बिना अनुमति के निर्माण पाए जाने पर उन्हें तत्काल हटा देगा। आयुक्त झारिया ने बताया संबंधितों से 15 हजार रुपए प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि वसूली जाएगी।

भास्कर

दै. भास्कर 6/12/21

कारोबारियों के बीच पहुंचकर बोले धन्यवाद

अस्वच्छता प्रदूषण की जननी और असभ्यता की निशानी

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर की स्वच्छता बात आती है तो सभी सरकारी तंत्र पर निर्भर हो जाते है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती हैं। हम सभी को मिल कर शहर को स्वच्छ रखने का सहयोग देना चाहिए। शहर को आदर्श नगर बनाने के लिए स्वच्छता सभी की पहली प्राथमिकता होना चाहिए।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत रविवार को शहर के चारों झोन में स्थित सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों सहित बाजार में पहुंचकर कारोबारियों का सम्मान किया। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने संचालकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया गया हैं। इस अवसर पर उपायुक्त विकास सोंलकी, स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, झोन प्रभारी एपी सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

पत्रिका / 6/12/21

अस्वच्छता प्रदूषण की जननी और असभ्यता की निशानी है

सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का सम्मान करते हुए निगमकर्मी। ● नईदुनिया

रतलाम। शहर की स्वच्छता की बात आती है तो सभी सरकारी तंत्र पर निर्भर हो जाते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती हैं तथा हम सभी को मिलकर नगर को स्वच्छ रखने में सहयोग देना चाहिए। शहर को आदर्श नगर बनाने के लिए स्वच्छता सभी की पहली प्राथमिकता होना चाहिए।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के परिणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन व विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत रविवार को शहर के चारों जोन में स्थित सार्वजनिक शौचालयों के संचालकों का सम्मान किया गया। निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने संचालकों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद उन्हें फूलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उपायुक्त विकास सोलंकी, स्वास्थ्य अधिकारी जीके जायसवाल, जोन प्रभारी एपी सिंह, किरण चौहान, पर्वत हाड़े, विनय चौहान, विराट मेहरा, मोनिका चौहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे।

नईदुनिया 6/12/21

अवैध कॉलोनाईजर पर दर्ज हुआ प्रकरण

रतलाम। धोलावड रोड पर अवैध कॉलोनी काटने पर दो व्यक्तियों के खिलाफ अब डीडी नगर थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। नगर निगम के प्रतिवेदन पर एफआईआर करते हुए पुलिस ने आशीर्वाद डेवलपर्स के दो पार्टनरों पंकज बडिया और दूसरा राकेश कोठारी के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच में मूल विक्रेता आशीर्वाद डेवलपर्स के पार्टनरों के नाम छूट गए थे। रिकॉर्ड चेक करने के बाद नगर निगम ने दर्ज कराई एफआईआर में इनका नाम जोडने के लिए डीडी नगर थाने को प्रतिवेदन दे दिया है। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा नगर निगम द्वारा चार पूर्व अन्य अवैध कॉलोनाईजर तेजसिंह धभाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई है।

राज एक्सप्रेस 6/12/21

छत्री पुल से कब्जा हटाया

रतलाम, नप्र। छत्रीपुल से कल कब्जा हटाया। प्रशासन का दावा है कि यहा से आठ करोड़ कीमत की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि नगर निगम ने इस जमीन को अलग-अलग उपयोग के लिए मांगी है। प्रशासन की कब्जा हटाओ मुहिम लगातार जारी है।

प्रभात किरण 5/12/21

सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जारी होगी अनुमति

गांव सरकार से पहले अनुमतियों का मैप, जिला स्तर पर बनी नई व्यवस्था

पत्रिका करंट इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. पंचायत चुनाव का शंखनाद होते साथ ही जिले की प्रशासनिक मशीनरी ने काम की गति पकड़ ली है। जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में होने वाली आमसभा, जुलूस और चुनावी रैली बिना अनुमति के नहीं निकल सकेगी। अनुमतियां जारी किए जाने को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा विभिन्न अधिकारियों को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी एसडीएम अपने अनुविभाग मुख्यालय के निर्वाचन क्षेत्र के लिए तथा विकासखंड पिपलोदा तथा बाजना निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर पंचायत को अधिकृत किया गया है। संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर परीक्षण के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक अनुमति जारी करेंगे। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया जाकर अनुमति जारी की जाएगी।

इन कामों के लिए लेना होगी अनुमति

जिन कार्यों के लिए अनुमतियां लेना आवश्यक होगी उनमें वाहन उपयोग, चुनाव प्रचार के लिए जुलूस या रैली निकालने, सभा आयोजित करने तथा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए लोकल केबल पर निर्वाचन संबंधी सूचना के प्रसारण की अनुमति तथा निर्वाचन कार्य के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग में आने वाले वाहनों में पीओएस, स्थानीय पेट्रोल पंप से भरवाने के लिए क्रेडिट जारी करने की अनुमति शामिल है।

आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विश्राम भवनों को आरक्षित रखने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए हैं। निर्वाचन की

घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की दिनांक तक की अवधि में रतलाम जिले के विभिन्न विभागों लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, सज्जन मिल और इप्का लेबोरेटरीज के विश्राम गृह, विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

इन्हें प्राथमिकता

विश्राम भवनों के आवंटन की प्राथमिकता में निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारी रहेंगे। इसी क्रम में निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संपादन के लिए नगर पालिक निगम रतलाम के आंबेडकर मांगलिक भवन, स्टेडियम को भी अधिग्रहित किया गया है।

एमसीसी टीमों का गठन

आचार संहिता में निर्देशों का पालन कराने तथा निर्वाचन संपन्न कराने के लिए एमसीसी टीम का गठन किया गया है। कलेक्ट जिला निर्वाचन अधिकारी अनुसार जिले के विकासखंडों में एमसीसी दल करेंगे। एमसीसी दल में स एसडीएम, तहसीलदार, कार्यपालन अधिकारी पंचायत तथा थाना सम्मिलित किए गए हैं।

अवकाश पर लगा प्रतिबंध

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी कर हुए शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा है। अपर कलेक्टर विकास एव मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम की सहमति के बिना किसी भी प्र का अवकाश स्वीकृत नहीं कि जा सकेगा। अवकाश स्वीकृ के लिए प्रकरण सिर्फउसी स्थिति में अनुशंसित किया जाएगा जब अत्यावश्यक हो।

पत्रिका 6/12/21

खुले में गदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते है उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 दिसम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खुले में गंदगी करने पर ईश्वरलाल, वीरेन्द्र सैलाना बस स्टैण्ड, स्वपनिल सोनी चैमुखी पुल, एजाज, भेरूलाल त्रिपोलिया गेट, रमेश, निलेश बाजना बस स्टैण्ड पर 100-100, पाटीदार पावर हाउस रोड व निखलेश त्रिपोलिया गेट पर 50-50 रुपए का स्पॉट फाईन किया।

अवन्तिका 6/12/21

खुले में गंदगी करने पर 9 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम। कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देषानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर षहर को गंदा करते हैं, मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 4 दिसम्बर को 9 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार खुले में गंदगी करने पर ईष्वरलाल, विरेन्द्र सैलाना बस स्टैण्ड, स्वपनिल सोनी चैमुखी पुल, एजाज, भैरूलाल त्रिपोलिया गेट, रमेष, निलेष बाजना बस स्टैण्ड पर 100-100, पाटीदारजी पावर हाउस रोड व निखलेष त्रिपोलिया गेट पर 50-50 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविश्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी। इसके अलावा नगर विभिन्न क्षेत्रों में बिना मास्क वाले 11 व्यक्तियों पर 100-100 रूपये का स्पॉट फाईन पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाईष दी गई।

स्वतंत्र ऐलान 6/12/21

71 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया

रतलाम। नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे, सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन कर जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया जा रहा है। रविवारको 71 टन कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पर पहुंचाया गया। डंपर से 21610, ट्रैक्टर-ट्राली से 24105, कामपेक्टर सूखा कचरा 12045, काम्पेक्टर गीला कचरा 13320 कुल 71080 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचाया गया।

नईदुनिया 6/12/21

समझदारों की साजिश • पहला टीका लगवाने में मजदूर नहीं पॉश इलाकों से जुड़े लोग, वे इसे बूस्टर मान मोबाइल नंबर व आईडी बदलकर लगवा रहे

107% वैक्सीनेटेड शहर में 10 दिन में 5 हजार को पहला डोज

आशंका : बूस्टर (तीसरे) डोज की, इसलिए-पहले डोज पर रोक

भास्कर एक्सक्लूसिव

बूस्टर डोज की इच्छा वाले लगा रहे हैं फोन

भास्कर संवाददाता | रतलाम

नए वैरिएंट ऑमिक्रोन को लेकर डर है। इसी बीच बूस्टर डोज की चर्चा जोरों पर है। इधर, हमारे शहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर में पहले ही 107% वैक्सीनेशन हो चुका है, घर-घर ढूंढने पर पहला डोज लगवाने वाले नहीं मिल रहे थे।

अचानक 10 दिन में 5 हजार से ज्यादा लोग पहला डोज लगवाने पहुंच चुके हैं। खास बात यह है कि इनमें मजदूर वर्ग नहीं बल्कि उच्च शिक्षित चिकित्सा, कानून-व्यवस्था से जुड़े लोग शामिल हैं। प्रशासन ने जैसे ही इस चालाकी को भांपा कि ताबड़तोड़ पहले डोज के वैक्सीनेशन को बंद कर दिया है। अब बूस्टर डोज की इच्छा रखने वाले अधिकारियों को फोन लगाकर वीआईपी ट्रीटमेंट की जुगत लगा रहे हैं।

हर एक के पास दो मोबाइल नंबर, पोर्टल नहीं पकड़ पाता

- बूस्टर डोज यानी तीसरा टीका। वैसे तो दो डोज के बाद ही फाइनल सर्टिफिकेट जारी हो जाता है, लेकिन, पोर्टल को बेवकूफ बनाना मुश्किल काम नहीं है।

- वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल नंबर और आईडी बदलकर आसानी से तीसरा टीका लग जाता है।
- मसलन, किसी 8718******* मोबाइल नंबर वाले व्यक्ति ने आधार कार्ड लेकर पहला और दूसरा टीका लगवा लिया था।
- अब वह 9340****** मोबाइल नंबर लेकर और वोटर आईडी लेकर तीसरा डोज लगवाने पहुंचेगा तो उसे पोर्टल पहले डोज के लिए रजिस्टर्ड कर लेगा।
- आसान इसलिए क्योंकि, आज हर व्यक्ति के पास दो नंबर और दो आईडी हैं।

सख्ती : पहले डोज का वैक्सीनेशन बंद होने के बाद मची खलबली

केस - 1

मामला शहर के एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर संचालक से जुड़ा है। रविवार को उन्होंने वैक्सीनेशन से जुड़े अधिकारी को फोन लगाया। वे परिचित को पहला डोज लगवाना चाह रहे थे। जबकि पहला डोज बंद था। अधिकारी ने कलेक्टर से बात करने का हवाला दिया।

केस - 2

शहर के एक बड़े व्यापारी भी पहले डोज की पूछताछ कर रहे थे। अधिकारी से परिचय होने पर रविवार को उन्होंने फोन लगाया। अधिकारी ने मना कर दिया... उनका कहना था कि पहले डोज के आंकड़े सार्वजनिक होते हैं, हम कैसे लगा दें।

केस - 3

शहर में प्राइवेट मेडिकल फिल्ड से जुड़े एक व्यक्ति पहला डोज नहीं लगवा सके तो अधिकारी से संपर्क किया। उनका कहना था दिल का मरीज होने के कारण पहला डोज नहीं लगवा सके थे, मदद करें। अभी जरूरी हैं। अधिकारी ने कलेक्टर का आदेश होने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ा।

(तीनों केस वैक्सीनेशन से जुड़े एक अधिकारी से चर्चा के अनुसार।)

जानिए... क्यों हो रही है बूस्टर डोज की आशंका, अचानक बढ़ने लगा पहले डोज का वैक्सीनेशन

नवंबर के शुरुआती 10 दिन पहला डोज		आखिरी 10 दिन का पहला डोज	
दिनांक	पहला डोज	दिनांक	पहला डोज
1 नवंबर	150	22 नवंबर	300
2 नवंबर	7	23 नवंबर	220
3 नवंबर	2	24 नवंबर	1073
4 नवंबर	0	25 नवंबर	388
5 नवंबर	0	26 नवंबर	363
6 नवंबर	55	27 नवंबर	860
7 नवंबर	2	28 नवंबर	109
8 नवंबर	98	29 नवंबर	308
9 नवंबर	159	30 नवंबर	355
10 नवंबर	645	1 दिसंबर	1185

एक सप्ताह के अंदर पहले डोज का वैक्सीनेशन शहर में कैसे बढ़ा इन उदाहरणें से समझें

उदाहरण - 1

ऑमिक्रॉन की खबरों से पहले 6 नवंबर को 55 लोगों ने पहला टीका लगवाया था, इसी दिन 1253 लोगों को दूसरा डोज लगा था, जबकि, 29 नवंबर को भी 1297 लोगों को दूसरा टीका लगा लेकिन, 308 लोग पहला टीका लगवा गए। यानी 6 नवंबर को 4.20% लोगों ने पहला टीका लगवाया, जो कि बराबरी के आंकड़े में ही 29 नवंबर को 19.19% हो गया।

उदाहरण - 2

ऑमिक्रॉन से पहले 14 नवंबर को 567 लोगों ने दूसरा डोज लगवाया था और 86 लोग पहले टीके के लिए आए, , 28 नवंबर को 291 लोग दूसरे डोज के लिए आए और 109 लोग पहला टीका लगवाकर चले गए। 14 नवंबर को 13.16% पहला डोज था, जो कि दूसरे डोज का वैक्सीनेशन कम होने के बावजूद 28 नवंबर को 27.25% हो गया।

बूस्टर डोज का टारगेट मिलने पर अमला होगा परेशान

प्रशासन ने पहला टीका लगाना बंद कर दिया है। यदि ऐसा ही रहा तो प्रशासन को दिक्कत है। क्योंकि, बूस्टर डोज लगाया जाता है तो जल्द इसके लिए टारगेट आ सकता है। ऐसे में कई लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो टारगेट पूरा करना चुनौती होगा।

100% वैक्सीनेशन के बाद भी आंकड़ा बढ़ रहा था

शहर में पहला डोज लगवाने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है, हमने घर-घर जाकर वैक्सीन लगाई थी। 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। पहला डोज लगवाने वालों में पॉश फिल्ड से जुड़े लोग है, जबकि सबसे पहले वैक्सीन लग चुकी है। निश्चित तौर पर बूस्टर डोज की आशंका है। अब पहला डोज बंद कर दिया है।

लोकेश वैष्णव, वैक्सीनेशन शहर प्रभारी, रतलाम

दै. भास्कर 6/12/21

वार्ड रहवासियों को स्वच्छता एप से भी अवगत कराया

रतलाम। कोई एक व्यक्ति पूरे शहर को साफ नहीं कर सकता है इसलिए हम सबको मिलकर ही अपने आस पास की सफाई करनी होगी। हमें चाहिए कि शहरवासी विशेषकर व्यापारी बंधु खुले में कुड़ा करकट न फेंके। नगर निगम ने भी जगह जगह पर कुड़ेदान लगवाए है ताकि लोग सडक पर कूड़ा न फेंके और घरों और दुकानों का गीला व सूखा कचरा संग्रहण वाहन में ही डाले। ऐसा खुद भी करे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे।

उक्त विचार नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यक्त किए। स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के परीणामों के बाद संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के निर्देश पर आयोजित धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत शनिवार को शहर के चारों झोन अनेक वार्डों में स्थित दुकानों पर जाकर उन व्यापारी बंधुओं का सम्मान किया गया जो अपने दुकान-प्रतिष्ठानों का कचरा अलग-अलग डस्टबिनों में एकत्र कर इसका निपटान कचरा संग्रहण वाहन के अलग-अलग खानों में ही करते है। इस अवसर पर निगमकर्मियों और सफाई मित्र समूह की टीम ने व्यापारियों का स्वागत तिलक लगाकर किया गया। इसके बाद इन्हे फुलमालाओं के साथ मिठाई व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिन दुकानों में कचरे का सही निपटान और स्वच्छता को महत्व दिया जा रहा है, वहां स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक रांगोली का निर्माण भी किया गया।

धन्यवाद मध्यप्रदेश अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के साथ ही स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में आए बेहतर परिणामों के लिए सफाई मित्र, नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के साथ ही स्वच्छागृहीगणों आदि का सम्मान किया जाना है। इसी कड़ी में आज स्वच्छता में सहयोग करने वाले व्यापारियों का सम्मान उनके प्रतिष्ठानों पर पहुच कर किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए जाने का आव्हान भी किया गया।। सफाई मित्र समूह द्वारा कचरामुक्त स्थलों व सार्वजनिक स्थानों पर आकर्षक रांगोलियों का निर्माण कर स्वच्छता का संदेश दिया गया।

कार्यक्रमों के दौरान आयुक्त श्री झारिया ने कहां यह शहर मातृभूमि है। इसलिए इसे साफ सुथरा रखना हर किसी का दायित्व है। कुछ प्रतिशत व्यापारी ऐसे भी है जो अपने दुकानों से निकले कचरे का निपटान सडक पर दुकान के पायदान के नीचे बनी नालियों में करते आ रहे है, जो कानूनन रुप से भी अपराध की श्रेणी में आता है। इस कचरे से नालियां जाम होती है और इसके कारण बरसात के दिनों में पूरे शहर को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

उन्होने कहां कि आज विचारणीय प्रश्न है कि शहरवासी साफ-सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं? बल्कि हम उस समृद्धि और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयाई है इसका मुख्य उद्देश्य सदा 'पवित्रता' और 'शुद्धि' रहा है, यह सही है कि चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक है, लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है।

श्री झारिया ने कहां कि स्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन-मस्तिष्क पर पड़ता है, उसी प्रकार एक स्वच्छ और सुंदर व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। अतः अंतकरण की शक्ति का मार्ग बाहरी जगत की शुद्धि और स्वच्छता से होकर ही गुजरता है। इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री जी.के. जायसवाल, झोन प्रभारी सर्वश्री ए.पी.सिंह, किरण चैहान, पर्वत हाड़े, विनय चैहान, विराट मेहरा, मोनिका चैहान, सफाई मित्र समूह के सदस्य आदि उपस्थित रहे। स्वतंत्र

स्वतंत्र रतलाम 6/12/21

154 कॉलोनियों की बनी सूची, अब तक 39 पर हुई कार्रवाई

तीसरे फेस में पौने दो करोड़ की 11 रोड ध्वस्त

पत्रिका सिटी इश्यू

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जावरा में प्रशासन ने शहर में स्थित अवैध, अविकसित और मुलभुत सुविधाओं से महरुम के साथ बिना अनुमति के बनाई गई कॉलोनियों की सूची तैयार करते हुए तीसरे फेस में रविवार से कार्रवाई करना प्रारंभ कर दी है। अब तक 39 अवैध कॉलोनियों में स्थानीय प्रशासन तोड़ फोड़ कर चुका है। अब इन कॉलोनाईजरों पर कलेक्टर की स्वीकृति के बाद एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। वहीं जो कॉलोनियां अविकसीत है तथा जिनमें मुलभुत सुविधाऐं नहीं है, उन कॉलोनियों के कॉलोनाईजरों को नोटिस देकर समय सीमा में विकास कार्य पूर्ण करने के लिए कहा गया है, नहीं होने की स्थिति में कॉलोनाईजर की संपत्ती को जब्ती में लेकर उसे बेचकर नपा मुलभुत सुविधाऐं प्रदान करेगी।

रविवार सुबह करीब 9 बजे प्रशासन ने कार्रवाई करना प्रारंभ किया। करीब 11 कॉलोनियो की सूची तैयार कर आईएएस एसडीएम हिमांशु प्रजापति के मार्गदर्शन में सीएमओ दुर्गा बामनिया, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, तहसीलदार मृगेन्द्र सिसोंदिया, नगर पालिका उपयंत्री महेशचन्द्र सोनी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमला जेसीबी और नपा तथा राजस्व के अमले के साथ निकला और बगैर विकास अनुमति के कॉलोनियों में डाली गई सीसी रोड़ और डब्ल्यूबीएम रोड को तोड़ा गया।

कॉलोनाइजरों की संपत्ति होगी कुर्क

अनुविभागीय अधिकारी हिमांशु प्रजापति ने बताया शहर में स्थित 154 कॉलोनियों की सूची बनाई गई है, जिन्हें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से तैयार कर लिया गया है।

तीसरे फेस में रविवार को शहर की बाहरी सीमा की कॉलोनियों में कार्रवाई की गई है, जिन कॉलोनियों में मकान बन चुके है, उनमें बनी सीसी रोड़ को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन बगैर अनुमति और बगैर विकास शुल्क जमा किए काटी गई कॉलोनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, जो कॉलोनियां अविकसीत है और जिन कॉलोनियों में मुलभुत सुविधाऐं नहीं है, उनके कॉलोनाईजरों की भी सूची तैयार कर ली गई है। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर कॉलोनाईजरों की सम्पतियों को कुर्क कर उन्हें बेचकर कॉलोनी में विकास कार्य करवाए जाएंगे। आईएएस एसडीएम ने कहा कि दलालों की मदद से जमीन का गोरख धंधा करने वाले भुमाफिओं पर प्रशासन लगातार कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं इन कॉलोनाईजरों पर एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

पत्रिका

पत्रिका 6/12/21

पांच दिन में विदेश से 22 लोग आए रतलाम, 14 दिन निगरानी में रहेंगे

नए वैरियंट को लेकर सतर्कता : एयरपोर्ट के बाद जिला स्तर पर दो बार सैंपल जांच कराएगा स्वास्थ्य विभाग

तलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन ो लेकर जिले में अलर्ट जारी होने के बाद एक दिसंबर से पांच दिसंबर क बिदेश यात्रा कर जिले में आने ाले 23 लोगों की सूची रविवार को स्वास्थ्य विभाग को दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का अमला 14 दिन तक इन पर पैनी नजर रखेगा। एयरपोर्ट में कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जिला स्तर पर दो बार सैंपल जांच कराई जाएगी। रविवार रात तक 15 लोगों तक स्वास्थ विभाग की टीम पहुंच गई थी और सभी के आरटीपीसीआर जांच के लिए सैंपल लिए गए।

कुवैत, सऊदी अरब, कनाडा, लंदन की यात्रा करके 22 लोग रतलाम शहर में आए हैं और एक व्यक्ति जावरा का है। एयरपोर्ट में इनके लिए गए सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। विदेश से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है। कोरोना जिला नोडल अधिकारी डा. गौरव बोरीवाल ने बताया कि हाई रिस्क देशों जिले में अब तक 23 लोगों के आने की सूचना मिल गई है। पूरी जानकारी लेने के बाद सात दिन के लिए होम आइसोलेट किया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम उनके संपर्क में रहेगी। आठवें दिन फिर उनका आरटीपीसीआर सैंपल लेकर जांच की जाएगी। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सात दिन फिर नजर रखी जाएगी और वे खुद आइसोलेट रहेंगे। वहीं पाजिटिव आने पर इलाज के लिए शिफ्ट कर सैंपल जीनोमसिक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा।

: सैलाना रोड पर बंजली स्थित शासकीय मेडिकल कालेज। ● फाइल फोटो

सैंपलिंग बढ़ाने के साथ संसाधन अपडेट किए: डा. बोरीवाल ने बताया कि कोरोना के तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल एवं मेडिकल कालेज अस्पताल की सुविधाओं को अपडेट किया जा रहा है। ओमिक्रान के संक्रमित मिलने से संक्रमण तेजी से फैलने की आशंका जताई जाने लगी है। प्रदेश शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग उपचार की सुविधाओं की समीक्षा कर रहा है। इसको लेकर रविवार को भी सीएमएचओ ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आइसीयू, आइसोलेशन वार्ड, उपचार के लिए आवश्यक दवाओं, वेंटिलेटर आदि के पर्याप्त इंतजाम पर चर्चा की गई। साथ सैंपलिंग के टारगेट को बढ़ाने और नए सिरे से टीमों का गठन करने की तैयारी है।

कोरोना के कहर को भूले ग्रामीण, बरत रहे लापरवाही

सरवन। ग्राम सहित क्षेत्र से जुड़े आदिवासी अंचलों में कोरोना को लेकर वर्तमान में हालात ऐसे हो चुके हैं कि मानो यहां कभी कोरोना था ही नहीं। क्षेत्रवासी कोरोना महामारी को पूरी तरह भूल चुके हैं। कोरोना के सारे नियम-कायदे लोगों ने ताक में रख दिए हैं। जबकि कोरोना काल में सबसे ज्यादा मौतें जिले के गांव बड़ी सरवन में हुई हैं। फिर भी लोग यहां कोरोना महामारी को हल्के में ले रहे हैं। बाजारों में खुले मुंह घूम रहे हैं। शारीरिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा है। किसी में भी कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। कोरोना अब तीसरी लहर के रूप में ओमिक्रान का नया रूप धारण कर चुका है। दुनिया भर नए वैरिएंट ओमिक्रान से चिंता बढ़ी हुई है, वहीं क्षेत्रवासी इस भयावह महामारी से अनभिज्ञ हैं। कोरोना काल लाखों लोग असमय काल के गाल में समा चुके हैं।

जिला अस्पताल में शुरू नहीं हुई आधुनिक लांड्री

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। जिला अस्पताल परिसर में आधुनिक लांड्री के लिए लाखों का भवन दो साल से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक आधुनिक लांड्री शुरू नहीं हो पाई। नई लांड्री की सुविधा का लाभ मरीजों को कब तक मिल पाएगा, इसके बारे में सिविल सर्जन भी निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।

जिला अस्पताल में 45 लाख की लागत से भवन को तैयार कर लांड्री चालू करनी थी। फर्नीचर सहित अन्य शेष कार्य अभी अधूरे हैं। इस लांड्री में आधुनिक मशीनों द्वारा 500 बेड वाले जिला अस्पताल में मरीजों के बेड पर बिछाई जाने वाली चादरों, मरीजों की ड्रेस और ओटी के उपयोग में आने वाले कपड़ों की हाइजिन धुलाई करने की योजना है, लेकिन अभी लांड्री शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में ठेकेदार के लोग पुराने ढर्रे यानी हाथ से गंदे पानी में ही कपड़ों की धुलाई कर रहे हैं। लांड्री की मशीनें भी अभी तक नहीं आई है। जानकारी के अनुसार जहां शासन की मंशा है कि लांड्री संचालन करने वाला ठेकेदार ही मशीनों का इंतजाम करें। ऐसे में इच्छुक ठेकेदार लांड्री संचालन की अवधि कम से कम पांच साल करना चाहते हैं। उधर अस्पताल प्रबंधन इस जुगत में है कि मशीनों का क्रय विभाग स्वयं करे, इसके लिए वह स्वास्थ्य विभाग को मशीनों का इस्टीमेट भी भेज चुका है। यानी कि जब तक मशीनों का इंतजाम नहीं होता आधुनिक लांड्री चालू नहीं होने वाली है।

छह लाख रुपये सालाना बचत होगी

जिला अस्पताल में लांड्री चालू होती है तो सिर्फ मशीन से कपड़े धुलाई करने से ही छह लाख रुपए सालाना की बचत होगी। दो दिन में जो कपड़े धुलकर उपयोग के लिए तैयार हो पाते थे वे अब चार घंटे के अंदर धुलकर, सूखकर और प्रेस होकर अस्पताल में उपयोग के लिए मिल सकेंगे। जिला अस्पताल में प्रतिदिन 700 चादर के अलावा अन्य कपड़े साफ कराए जा रहे हैं। मरीजों के बेड की चादर व तकिया कवर प्रतिदिन बदलने के प्रविधान है। जिला अस्पताल, एमसीएच और बाल चिकित्सालय को मिलाकर 700 से अधिक चादरों का उपयोग रोज हो रहा है। एक चादर की धुलाई तीन रुपये और तकिया कवर एवं अन्य कपड़ों की धुलाई दो रुपये प्रति नग दिया जा रहा है।

> आधुनिक लांड्री के लिए भवन बन गया है, फर्नीचर व अन्य कुछ कार्य बचे है। ठेकेदार ने बीच में काम रोक दिया था। इसके बाद कोरोना आ गया, तो काम चालू नहीं हो पाया है। कपड़े धुलाई की हमारी पुरानी व्यवस्था ही संचालित है। भवन निर्माण का भोपाल स्तर से ठेका हुआ है। हमने भवन की स्थिति के बारे में अवगत भी करा दिया है। कब तक काम पूरा होगा और आधुनिक लांड्री चालू होगी, कुछ कह नहीं सकते है। - **डा. आनंद चंदेलकर, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल रतलाम**

नईदुनिया 6/12/21

जयपुर की संस्था करेगी श्वानों का बधियाकरण

श्वान काटने की घटनाओं पर काबू पाने अब निगम लेगा जयपुर संस्था की मदद

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में श्वानों (कुत्तों) के काटने की घटनाओं से परेशान रहवासियों के लिए खुश खबर है। नगर निगम ने जयपुर की संस्था से अनुबंध किया है। यह संस्था आगामी 15 दिसंबर से शहर में कुत्तों का बधियाकरण करेगी। शुरुआत में करीब 5 हजार कुत्तों का बधियाकरण होगा। इसके लिए तैयारी तेज हो गई है। इस कार्य में नगर निगम 45 लाख रुपए का व्यय करेगी।

कुत्तों के काटने की शहर में एक माह पूर्व तक बड़ी संख्या में घटनाएं सामने आ रही थी। यहां तक की सड़क पर खेल रहे छोटे बच्चों को भी कुत्तों ने नोचा था। ऐसे में शहर में यह मांग तेजी से हो रही थी कि कुत्तों को या तो शहर के बाहर छोड़ा जाए या इनका बधियाकरण किया जाए। डॉग बाइट की एक वर्ष में ही करीब 10 हजार घटनाएं शहर में हुई है। ऐसे में प्रशासन व नगर निगम ने गंभीरता दिखाते हुए कुत्तों के बधियाकरण के लिए कार्य की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। बता दे कि पूरे प्रदेश में डॉग बाइट के मामले में रतलाम का नंबर दूसरा है।

नियमानुसार होगा कार्य

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियम के अनुसार जयपुर की संतुलन जीव कल्याण संस्था से नगर निगम का अनुबंध हुआ है। जयपुर की संतुलन जीव कल्याण संस्था द्वारा अब इसी माह की 15 दिसंबर से रोड पर घुमने वाले कुत्तों का बधियाकरण कार्य किया जाएगा। इसके लिए जुलवानिया टेचिंग ग्राउंड में कुत्तों के

बधियाकरण के लिए करीब 30 लाख रुपए से अधिक की लागत से अलग से अस्पताल बनाया गया है। नगर निगम के लोकनिर्माण विभाग की ओर से जारी की गई टेंडर प्रक्रिया में कई राज्यों के एनजीओ ने दिलचस्पी दिखाई। इनमे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के अलावा दिल्ली व जयपुर की संस्थाए शामिल रही। लेकिन कुत्तों के बधियाकरण के लिए जो मानक तय किए गए है, उसमे जयपुर की संस्था को श्रेष्ठ पाया गया। पूर्व में भी यह संस्था इस कार्य को कर चुकी है। कुत्ते पकड़ने से लेकर बधियाकरण तक जीव को भोजन देने का कार्य जयपुर की ऐजेंसी को ही करना होगा। प्रत्येक कुत्ते पर इस कार्य के लिए 1 हजार रुपए का व्यय होगा।

इसी माह कार्य पूरा हो यह प्रयास

कुत्तों के बधियाकरण के लिए जयपुर की ऐजेंसी को टेंडर दिए गए है। 15 दिसंबर से कार्य की शुरुआत होगी। पहले चरण में 5 हजार कुत्तों का बधियाकरण किया जाएगा। इसके लिए जुलवानिया टेचिंग ग्राउंड में अलग से व्यवस्था की गई है।

- सोमनाथ झारिया, आयुक्त
नगर निगम

पत्रिका 6/12/21

पंचायत चुनाव : अफसरों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक

भास्कर संवाददाता | रतलाम

पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ ही कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तत्काल प्रभाव से शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रतलाम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रकरण सिर्फ उसी स्थिति में अनुशंसित किया जाएगा जब अत्यावश्यक हो।

आंबेडकर मांगलिक भवन और स्टेडियम भी अधिगृहीत : चुनाव को देखते हुए कलेक्टर ने विश्राम भवनों को आरक्षित रखने संबंधी आदेश जारी किया है। इसमें निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक की अवधि में रतलाम जिले के विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, बिजली कंपनी, सज्जन मिल एवं इप्का लेबोरेटरीज के विश्राम गृह, निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इनके आवंटन की प्राथमिकता में क्रमशः निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अफसर रहेंगे। शहर के आंबेडकर मांगलिक भवन, स्टेडियम को भी अधिग्रहित किया है।

दै. भास्कर 6/12/21

खाली रखें सरकारी विश्राम गृह, अवकाश पर रोक

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी, कलेक्टर ने दिए निर्देश

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जिला पंचायत सीईओ की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह पंचायत निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक जिले में लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, सज्जनमिल, इप्का लैब विश्राम गृह, विश्राम भवनों को निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक, आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं उनके कार्यालय के अधिकारी तथा निर्वाचन कार्य से संबंधित अधिकारी रहेंगे। इसी क्रम में निर्वाचन से संबंधित कार्यों के संपादन के लिए नगर पालिक निगम रतलाम के आंबेडकर मांगलिक भवन, स्टेडियम को भी अधिग्रहित किया गया है।

एमसीसी टीमों का गठन

पंचायत चुनाव के लिए कलेक्टर ने एमसीसी टीम का भी गठन किया है। आदेश के अनुसार जिले के सभी विकासखंडों में एमसीसी दल कार्य करेंगे। एमसीसी दल में संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा थाना प्रभारी सम्मिलित किए गए हैं।

नईदुनिया 6/12/21

23 लोग विदेश से आए, इनमें से 3 हॉट-स्पॉट कंट्री वाले, 7 दिन रहेंगे आइसोलेट

अलर्ट : सभी को ट्रेस करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग का अमला,

राहत : किसी की भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट जारी है। 4 दिन में 23 रतलाम के रहने वाले लोग विदेश से आ गए हैं। इनमें से कुछ रतलाम पहुंच गए हैं, तो कुछ लोग पहुंचने वाले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग का अमला एक-एक व्यक्ति को ट्रेस करने में जुट गया है।

भारत के साथ अब अलग-अलग देशों में ओमिक्रॉन के केस सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ देशों को रेड जोन में भी रखा है। इधर, रतलाम आ रहे 23 लोगों में से 3 से ज्यादा हॉट स्पॉट कंट्री से आने वाले लोग है। जो कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच भारत आए हैं। सभी के नाम और पते की सूची स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास पहुंच गई है। इसके आधार पर अब उन्हें ट्रेस किया जा रहा है। ज्यादातर लोग ट्रेस हो चुके हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी रतलाम नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में उनके आने के बाद उन्हें आइसोलेट करेंगे। इधर, दो दिन पहले साउथ अफ्रीका का एक युवक भी रतलाम पहुंचा था, जो कि अभी आइसोलेट किया हुआ है।

प्रोसेस : सात दिन बाद दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट करेंगे

एपेडेमियोलॉजिस्ट डॉ. गौरव बोरीवाल ने बताया विदेश से आने वाले लोगों को 7 दिन आइसोलेट किया जा रहा है। उनके लक्षणों पर खासतौर पर नजर है। 7 दिन बाद दोबारा उनका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। अभी कोई भी पॉजिटिव रतलाम में नहीं है, जो कि बड़ी राहत की बात है।

20 अक्टूबर के बाद से कोई पॉजिटिव नहीं

इधर, जिले में 20 अक्टूबर के बाद से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। जो कि, बड़ी राहत है। जिले में अब तक कुल 17507 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल चुकी है। वहीं, 311 लोग कोरोना के कारण दम तोड़ चुके हैं।

दै. भास्कर. 6/12/21

अब गोशाला रोड नाले के समीप कालोनी पर होगी कार्रवाई

नाले पुलिया के लिए नजूल व टीएनसीपी से नहीं ली अनुमति, नक्शा भी पास नहीं कराया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। गोशाला रोड पर नाले के समीप बन रही कालोनी में नियम विपरीत बनाई गई पुलिया व अन्य निर्माण तोड़ने के लिए नगर निगम मंगलवार को कार्रवाई कर सकता है। सोमवार को कार्रवाई करने के लिए नगर निगम ने पुलिस विभाग को पत्र लिख बल मांगा था, लेकिन छह दिसंबर होने के चलते पुलिस बल नहीं मिल पाया। इसके चलते अब मंगलवार को कार्रवाई होने की संभावना है। निगमायुक्त सोमनाथ झारिया के अवकाश पर होने के चलते कार्रवाई कार्यपालन यंत्री व अन्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

मालूम हो कि वर्ष 1956 में गोशाला रोड नाले से पास की जमीन पर जाने के लिए तत्कालीन जमीन मालिक खेमजी-भीमजी ने छोटी पुलिया बनाने की अनुमति ली थी, जो वर्ष 2016-17 नाले की सफाई व अतिक्रमण हटाने के दौरान टूट गई। इसके बाद फिर से निगम से अनुमति ली गई। नगर निगम ने पुलिया निर्माण के लिए नजूल, टीएनसीपी से स्वीकृति लेने व पुलिया का नक्शा शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से स्वीकृत डिजाइन व स्ट्रक्चरल रिपोर्ट लेकर निगम के सुपरविजन में निर्माण करवाएं। इसके विपरीत मौके पर कालोनाइजर ने पुलिया निर्माण में किसी भी शर्त का पालन नहीं किया। इसकी शिकायत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को की गई थी।

शनिवार को होना थी कार्रवाई

गोशाला रोड पर शनिवार को ही कार्रवाई की तैयारी थी, लेकिन छत्रीपुल पर कब्जा हटाने की कार्रवाई के चलते वहां कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बीच कालोनाइजरों ने अपना पक्ष रखने का समय भी मांगा और कलेक्टर से मिलकर दस्तावेज बताए। दस्तावेजों के निरीक्षण व मौके की स्थिति में शर्तों के अनुसार निर्माण नहीं पाया गया। खास बात यह है कि निर्माण अनुमति जिसके नाम से जारी हुई है और मौके पर निर्माण करने वाले अलग-अलग व्यक्ति हैं। बताया जाता है कि मूल भूमि स्वामी से जमीन खरीदने के बाद अनुबंध आधार पर आगे बेच दी गई। हालांकि अभी मौके पर सड़क आदि निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन अलग-अलग साइज के करीब 30 प्लाट निकालने की तैयारी है। इनकी बाजार कीमत 8 से 10 हजार रुपये वर्गफीट तक है। जमीन को लेकर पूर्व में भी शिकायत हो चुकी है।

जो दस्तावेज पर नहीं वे पक्ष रख रहे

सूत्रों के अनुसार प्रशासकीय स्तर पर पक्ष रखने के लिए पहुंचे व्यक्ति का भूमि के दस्तावेजों, अनुमति पत्र में नाम नहीं है। इसके चलते कलेक्टर ने भी इस पर सवाल किया। बताया जाता है कि शहर में सट्टे से कमाई गई अवैध आय को इस कालोनी निर्माण में लगाया गया है। इसके चलते प्रशासन का रुख सख्त है।

नईदुनिया 6/12/21

छत्रीपुल की सरकारी जमीन पर बनेगा रजिस्ट्रार ऑफिस

सरकारी जमीन पर कब्जे की 3 और शिकायतें मिलीं

भास्कर संवाददाता | रतलाम

अवैध कब्जे से मुक्त कराई गत्रीपुल के पास वाली जमीन पर रजिस्ट्रार ऑफिस बनेगा। प्रशासन ने योजना बनाना शुरू कर दिया है।

शनिवार को प्रशासन ने छत्रीपुल के पास वाली 10800 वर्गफीट जमीन से राइट सर्विसेस और जीएन ऑटोडील व सर्विस सेंटर का अतिक्रमण तोड़ अवैध कब्जा हटाया था। इसके बाद 8 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस जमीन नजूल भूमि का बोर्ड लगा दिया है। शनिवार को छत्रीपुल पर हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन को और तीन शिकायतें मिली हैं। इनके आधार पर अफसरों ने रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर दिया है। सोमवार को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे।

रह गए अवशेष : भूमाफिया के परिचितों ने पंडित से मांगी माफी तब की कथा

शनिवार को कार्रवाई के बाद माजरा समझ आते ही पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री ने कथा करने से मना कर दिया था। आयोजकों ने कई पंडितों से कथा की मनुहार की लेकिन कोई राजी नहीं हुआ क्योंकि पंडित मृदुल कृष्ण प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित योगेश्वर शास्त्री के पुत्र है। इसलिए सबने दो टूक कह दिया कथा करवाना है तो उनके पास जाइए। रविवार सुबह आयोजक के परिचित पंडित मृदुल के पास पहुंचे और क्षमायाचना करके कथा करवाने के लिए राजी किया। दोपहर को पंडित मृदुल कथा स्थल पहुंचे और पोथी की स्थापना कर कथा शुरू की। पहले दिन कथा दोपहर 1.30 बजे से 4 बजे तक ही हो पाई। पंडित शास्त्री के अनुसार अब 10 दिसंबर तक रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कथा होगी। भास्कर

- सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई चलेगी। छत्रीपुल के पास वाली अतिक्रमण मुक्त कराई जमीन पर रजिस्ट्रार ऑफिस बनाने की योजना है। कुछ और भी शिकायतें मिली है। जांच करवाने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।
  कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर
- रविवार को आयोजक के कुछ लोगों ने आकर क्षमा याचना कर ली है। चूंकी संकल्प ले लिया था, कथा शुरू कर दी है। रोजाना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक कथा होगी।
  पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री, कथा वाचक

दै. भास्कर 6/12/19